व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के भाग - 13 के Art 301 - 307 में प्रावधानित है।

Art - 301 के अनुसार भारत राज्यक्षेत्र में सर्वत्र व्यापार वाणिज्य एंव समागम आबाध्य होगा। Art 301 केवल अन्तर्राज्यों को ही नहीं वरन् राज्य के अन्तर्गत होने वाले व्यापार, वाणिज्य एंव समागम को भी लागू होता है।

Art - 301 की स्वतंत्रता पर निर्बन्धन लगाये जा सकते हैं। यह निर्बन्धन 302 से 305 तक में उल्लिखित है।

Art - 302 - संसद विधि बना कर लोकहित में निर्बन्धन लगा सकती है। साथ ही संसद भारत के किसी राज्यक्षेत्र के किसी भाग में माल की कमी से उत्पन्न किसी स्थिति से निपटने के प्रयोजन के लिए आवश्यकता होने पर विधि बनाकर निर्बन्धन अधिरोपित कर सकती है। (Art - 303(2))

Scanned with CamScanner

Art 304 के अन्तर्गत राज्य का विधानमण्डल विधि द्वारा अन्य राज्यों से आयात माल * पर कर लगा सकती है किन्तु इस प्रकार कि उससे इस तरह आयात किये गये माल और ऐसे विनिर्मित या उत्पादित माल के बीच कोई विभेद न हो।

राज्य विधान मण्डल विधि द्वारा उस राज्य के साथ उसके भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर ऐसी युक्तियुक्त निर्बन्धन आरोपित कर सकेगा जो लोकहित में आवश्यक हो।

उक्त निर्बन्धन लगाने वाला विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही राज्य के विधानमण्डल में प्रस्तुत किया जा सकता है।

Art - 307 के अन्तर्गत संसद विधि बना कर ऐसे प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकेगी जो वह Art - 301, 302, 303, 304 के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए समुचित समझे।

राज्यों के मध्य व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता का विचार आस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया है। यह किसी भी परिसंघ की आर्थिक मजबूती के लिए आवश्यक प्रावधान है।

Scanned with CamScanner

Services under The Constitution

संसदीय प्रणाली की लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली में प्रशासनिक नीतियों का निर्धारण मंत्रिमंडल करता है, किन्तु उनका क्रियान्वयन लोक-सेवकों द्वारा ही किया जाता है। इसलिए लोक सेवकों को राजनीति और व्यक्तिगत किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त रखने के लिए उन्हें इस संविधान के अन्तर्गत निम्नलिखित संरक्षण प्रदान किये गये हैं।—

→ भर्ती और सेवा-शर्तों का विनियमन — Art - 309

समुचित विधान मण्डल के अधिनियम, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुये, संघ या किसी राज्य के कार्यों से संबंधित लोकसेवाओं और पदों के लिए भर्ती और नियुक्त किये गये व्यक्तियों की सेवा शर्तों का विनियमन कर सकेंगे।

किन्तु जब तक ऐसे किसी अधिनियम के द्वारा या उसके अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिए उपबंध नहीं किये जाते हैं, ऐसी सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को राष्ट्रपति संघीय सेवाओं के संबंध में, और राज्यपाल, राज्य के अधीन सेवाओं के संबंध में, नियम बनाकर विनियमित कर सकते हैं।

किन्तु ये नियम समुचित विधान मण्डल द्वारा बनाये गये ऐसे किसी अधिनियम के अधीन रहते हुये प्रभावशील होंगे।

Scanned with CamScanner

Art - 310, प्रसाद का यह सिद्धांत उपबंधित करता है कि संघ - सेवा के सैनिक या असैनिक सदस्य या अखिल भारतीय सेवा के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यन्त और राज्य-सेवा के असैनिक सदस्य राज्यपाल के प्रसाद-पर्यन्त अपना पद धारण करेंगे।

किन्तु प्रसाद का सिद्धांत भी संविधान के अभिव्यक्त उपबंधों के अधीन है।

→ <u>प्रसाद के सिद्धांत पर निर्बन्धन</u> Art 310 में प्रयुक्त प्रारम्भिक पदावली 'संविधान द्वारा स्पष्टतापूर्वक उपबंधित अवस्था को छोड़कर' प्रसाद सिद्धांत के प्रयोग पर निम्नलिखित निर्बन्धन लगाती है। —

(1) यह सिद्धांत Art 311 के अधीन है अर्थात इसका प्रयोग 311 में विहित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकता है।

(2)(A) - उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (Art - 124 & 219)

(B)- भारत का महालेखाकार (Art - 148(1))

(C)- मुख्य चुनाव आयुक्त (Art 324)

(D)- लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य (Art 317) के पद राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद-पर्यन्त पर निर्भर नहीं करते।

(3) प्रसाद का सिद्धांत मूल अधिकारों के अधीन है, अर्थात इस के प्रयोग द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए।

Scanned with CamScanner

removal or reduction in rank (Art-311)

लोक सेवकों को सबसे बड़ा संवैधानिक संरक्षण Art-311 के अन्तर्गत प्रदान किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत प्रतिपादित करता है।

Art-311 के अनुसार (1) जो किसी संघ की असैनिक सेवा (सिविल सर्विस) या * अखिल भारतीय सेवा या किसी राज्य की असैनिक सेवा का सदस्य है, अथवा संघ के या राज्य के अधीन असैनिक पद धारण करता है, वह अपनी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के नीचे पद के किसी अधिकारी के द्वारा पदच्युत नहीं किया जायेगा या पद से नहीं हटाया जायेगा।

(2) उपर्युक्त प्रकार का कोई व्यक्ति तब तक पदच्युत नहीं किया जायेगा या पद से नहीं हटाया जायेगा या पदावनत नहीं किया जायेगा, जब तक ऐसी जाँच, जिसमें, उसे, अपने विरुद्ध दोषारोपों से अवगत करा दिया गया है, और उन दोषारोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया गया है, पूरी नहीं कर ली जाती है।

Scanned with CamScanner

Art- 311 के खण्ड (2) के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी सरकारी सेवकों को युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये जाने का अधिकार नहीं प्राप्त है -

क - जहाँ कि कोई व्यक्ति ऐसे आचरण के आधार पर पदच्युत किया ~~क~~ जाता है या हटाया जाता है या पंक्तिच्युत किया जाता है जिसके लिए अपराध के आरोप पर उसे दोषसिद्ध किया गया है।

ख - जहाँ किसी कारण से जो उस अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जायेगा, यह युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं है कि सुनवाई का ऐसा अवसर प्रदान किया जाये।

ग - जहाँ राष्ट्रपति या राज्यपाल का समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में यह समीचीन नहीं है कि ऐसी जाँच की जायं।

उपर्युक्त मामले में यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या 311(2) में निर्दिष्ट जाँच करना व्यवहार्य है या नहीं तो उस अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा जिसे किसी सिविल सेवक को पदच्युत करने हटाने या पंक्तिच्युत करने की शक्ति प्राप्त है।

Scanned with CamScanner

प्रशासनिक अधिकरण * Administrative Tribunals

42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा Art 323A समाविष्ट किया गया, जो केन्द्र व राज्य की सरकारी सेवाओं में नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण व सेवा दशाओं संबंधी मामलों के विनिश्चय हेतु केन्द्रीय व राज्य प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है।

इस प्रावधान के पालन हेतु संसद ने 1985 के प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम को पारित किया, ताकि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) की स्थापना की जा सके।

कई राज्यों में भी राज्य प्रशासनिक अधिकरण है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (Public Sector Undertakings) के कर्मचारियों से संबद्ध मामलों को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण या राज्य प्रशासनिक अधिकरण के तहत विज्ञप्ति के द्वारा लाया जा सकता है।

अधिकरण के सभापति और उपसभापति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है। उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है।

अन्य सदस्यों (जो प्रशासन से लिए जाते हैं) के सेवानिवृत्त होने की आयु 62 वर्ष होती है।

Scanned with CamScanner

→ निम्नलिखित श्रेणी के कर्मचारियों को प्रशासनिक अधिकरण के दायरे से उन्मुक्ति (Exemption) प्राप्त रहती है :

(i) उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को
(ii) सैन्य बल कर्मचारियों को
(iii) राज्य सभा व लोक सभा सचिवालय के कर्मचारियों को

अधिकरणों का उद्देश्य न्यायालय के कार्यभार को कम करना व न्याय-प्रक्रिया को तीव्र करना है।

42 वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार सेवा संबंधी मामलों की सुनवाई सिर्फ उच्चतम न्यायालय कर सकता है।

राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर केन्द्रीय प्रशासनिक और राज्य प्रशासनिक अधिकरण के सभापति व अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते है।

Scanned with CamScanner